पूर्व वन एवं प [illegible] मंत्रालय भारत सरकार से अनापत्ति [illegible]

कार्यालय : गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद

(मानचित्र स्वीकृत पत्र)

मानचित्र संख्या 320/mp/2008 1654/RHA/GH/2008-09 दिनांक 3-6-2008

श्रीमति/श्री, मैसर्स अंसल हाउसिंग एवं कान्स्ट्रक्शन लि.
15, यू.जी.एफ. इन्द्रप्रकाश, 21 बाराखम्बा रोड
नई दिल्ली द्वारा श्री डी. के. अग्रवाल

स्वीकृत मानचित्र की अवधि दिनांक 26/5/16 तक बढ़ाई जाती है

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28-3-2008 के सन्दर्भ में आपके प्रस्तावित गुपहाउसिंग भवन की मौहल्ला/कालोनी/ग्राम खसरा नं 581, 594, 597 ग्राम डासना पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

CATP

1. यह मानचित्र स्वीकृति से केवल पाँच वर्ष तक वैध हैं।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे नगर पालिका, (ज़ी. डी.ए.) किसी अन्य व्यकित का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित नहीं होता है।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी अपत्ति के देय होगा।
5. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
6. दरवाजे व खिड़कियां इस तरह से लगाये जायेंगे कि सड़क की ओर खुलें।
7. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटिरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दें पानी की निकासी का पुर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
9. स्वीकृत मानत्रितों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जांच की जा सकें तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की भी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
10. यह मानचित्र उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते है तो वह शर्त भी मान्य होगी।
11. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रेम्प नहीं बनाये जायेंगे। यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेंगे।
12. सुपरविजन एवं स्पेशिफिकेशन की नियम/शर्तो का पालन करना होगा।
13. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 24-5-2007, 5-3-08, 5-5-2008 का पालन करना होगा।
14. पर्यावारण की दृष्टि से उ०प्र० राज्य व नीति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम (1) पेड़ लगाना अनिवार्य है।
15. स्वीकृत मानचित्र इसके साथ संलग्न है भवन कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा तथा बिना आज्ञा व प्रमाण–पत्र लिये भवन को प्रयोग में न लायें।
16. 300 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रुफटोप रेनवाटर हार्वस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।
17. 12.00 मी. से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
18. अस्पताल, नर्सिंगहोम, होटल, अतिथि ग्रह, विश्राम ग्रह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्व विद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बेंक्वेट हॉल, बारात घर व 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयत्र की स्थापना करनी होगी।

स्थल पर एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की संख्या व दिनांक लिखना अनिवार्य होगा।

स्वीकृत मानचित्र की अवधि दिनांक 27/5/15 तक बढ़ाई जाती है।

CATP

CATP

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जायेगा

फ्लैट 2 को 4 [illegible]

विभिन्न स्तरों पर समस्त दीवारों के ऊपर आर०सी०सी० टाई बीम डालना उचित/आवश्यक है। जो डी०पी०सी० लेवल सिस्टम व प्रत्येक छत के नीचे डाले जाये।

संलग्नक :

1. दो सैट स्वीकृत मानचित्र

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद

पत्रांक /एमपी/ दिनांक

प्रतिलिपि :
1. अधि० अधि० नगर निगम गाजियाबाद को स्वीकृत मानचित्र सहित ।
2. अवर्तन खण्ड को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को सूचनार्थ।

सी०ए०टी०पी०
गाजियाबाद